

## कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा।

पत्रांक:-

/जि0का0अधि0/आं0बा0च0/2024-25

दिनांक: 28, सितम्बर, 2024

### विज्ञप्ति

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-19/2023/3975/ 58-1-2022-2 /1(22)10 टी.सी. दिनांक 21.03.2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद आगरा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आं०बा० कार्यकर्त्री के रिक्त पद				कुल आं०बा० कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की संख्या
		अनारक्षित	ई०डब्लू०एस०	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	
1	2	3	4	5	6	7
1	शमसाबाद	11	02	10	01	24
2	एत्मादपुर	06	01	03	03	13
3	खेरागढ	06	02	06	05	19
4	बरौली अहीर	07	04	15	07	33
5	खन्दौली	28	05	05	16	54
6	फतेहाबाद	14	02	05	04	25
7	सैंया	06	02	02	05	15
8	जैतपुर कलां	06	02	02	05	15
9	बिचपुरी	02	03	24	06	35
10	फतेहपुर सीकरी	20	04	14	05	43
11	जगनेर	06	01	01	03	11
12	बाह	10	02	01	04	17
13	किरावली	06	03	09	06	24
14	अकोला	05	01	00	06	12
15	आगरा शहर	36	12	30	34	112
16	पिनाहट	07	02	04	04	17
<b>योग</b>		<b>176</b>	<b>48</b>	<b>131</b>	<b>114</b>	<b>469</b>

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

**विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-**

- 1- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 2- चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्ताहार अनुभाग उ०प्र० के शासनादेश संख्या-19/2023/3975/ 58-1-2022-2 /1(22)10 टी.सी. दिनांक 21.03.2023 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- 3- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
- 4- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- 5- आवेदिका की आयु दिनांक 01 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 6- सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 05 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो, को वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा।

- 6- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 7- ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 8- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।
- 9- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 19.10.2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
- 10- विधवा/तलाकशुदा/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- 11- निवास एवं आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- 12- उपरोक्त पदों की अर्हता आवेदन की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा <http://upanganwadibharti.in> से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ ले अथवा बाल विकास परियोजना/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर लें।
- 13- उपरोक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की गयी मेरिट पर आधारित होगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- 14- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सकें।
- 15- विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

/

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
आगरा।

पृष्ठांकन:- 682 /तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
- 4- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद-आगरा।
- 5- समस्त प्रमुख कार्यालयों के सूचनापट पर चस्पा हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपद के सर्वाधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापित प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
- 7- सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला आगरा को इस अनुरोध के साथ कि अपने समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित करने के साथ विल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- पत्रावली हेतु।

/

28/10/2024  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
आगरा।